



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012026-269232
CG-DL-E-09012026-269232

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947

No. 127]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSHA 18, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2026

का.आ. 137(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. S.O.3278 (E) तारीख 18/07/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के डोडा जिले में NH-244 के कि.मी. 20.300 से कि.मी. 29.030 (गोहा - खेळानी सेक्शन इन्क्लूडिंग लिंक रोड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (2-लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 27.07.2025 "डेली एक्सेलिसर" (अंग्रेजी) और "पंजाब केसरी (हिंदी)" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के डोडा जिले में NH-244 के कि.मी. 20.300 से कि.मी. 29.030 (गोहा - खेळानी सेक्शन इन्क्लूडिंग लिंक रोड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: डोडा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: डोडा					
गांव का नाम: मल्होरी					
1	1142/391	निजी	अन-इरिगेटेड	0.0480564	स्वरन सिंह शेयर होल्डर
2	1142/391	निजी	अन-इरिगेटेड	0.053115	हरपाल सिंह शेयर होल्डर
3	1142/391	निजी	अन-इरिगेटेड	0.1896964	मेहल सिंह शेयर होल्डर
4	1199/712	निजी	अन-इरिगेटेड	0.1795793	खुदा बक्ष, गुलजार अहमद, ईकुआली 2/3 शेयर्स, अमजद अमीन, मजीद अमीन, साजिद अमीन, ईकुआली 7 शेयर्स, शमेम अख्तर 1 शेयर आउट ओफ 1/3 शेयर आउट ओफ हाल्फ शेयर, जलाल दीन हाल्फ शेयर.
5	718	निजी	अन-इरिगेटेड	0.0910543	जगदीश चंदर, फुलैल सिंघ, राजिंदर सिंघ
6	794	निजी	अन-इरिगेटेड	0.0227636	बिशन लाल, नरू देवी, रेखा कुमारी, कामला देवी
7	832	निजी	अन-इरिगेटेड	0.24787	हेमराज सन ओफ मांसा राम
गांव का नाम: हुड					
8	78	निजी	अन-इरिगेटेड	0.1871671	देव राज सन ओफ जिआ करन

9	78	निजी	अन-इरिगेटेड	0.0227636	दौलत राम सन ओफ जिआ करन
10	810/758/64	सामान्य	कॉमन लैंड	0.0025293	दौलत राम सन ओफ जिआ करन
11	810/758/64	सामान्य	कॉमन लैंड	0.0227636	मोहल लाल सन ओफ चंदू राम
12	810/758/64	सामान्य	कॉमन लैंड	0.0746139	जगदीश राज सन ओफ चंदू राम
13	810/758/64	सामान्य	कॉमन लैंड	0.0050586	लेहर चांद सन ओफ चंदू राम
14	811/758/64	सामान्य	कॉमन लैंड	0.0809371	नसीब चांद सन ओफ प्रेमा
15	811/758/64	सामान्य	कॉमन लैंड	0.0581736	कुलदीप कुमार सन ओफ प्रेमा
16	811/758/64	सामान्य	कॉमन लैंड	0.0075879	काकू राम सन ओफ प्रेमा
17	858/803/24	सरकारी	गवर्नमेंट लैंड	0.1112886	गवर्नमेंट ओफ जम्मू और कश्मीर
गांव का नाम: हम्बल					
18	533	निजी	अन-इरिगेटेड	0.4957399	बलदेव राम सन ओफ काशी राम
Total				1.9007582	

[फा. सं. NHIDCL/PMU-JMU/DPR/Goha-Khellani/LA/2020-21/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2026

S.O. 137(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O.3278 (E) Dated:18/07/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Road (2-laning, etc.), maintenance, management and operation of Highway No-244 in the stretch of land from design Km. 20.300 to Km. 29.030 (Goha-Khellani Section including Link Road) in district of Doda in the Union territory of Jammu and Kashmir.

And whereas the substance of the said notification has been published in "**Daily Excelsior**" (English) and "**Punjab Kesari**" (Hindi) both dated 27.07.2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling National Highway No-244 in the stretch of land from design Km. 20.300 to Km. 29.030 (Goha-Khellani Section including Link Road) in district of Doda in the Union territory of Jammu and Kashmir.

State: JAMMU & KASHMIR			District: DODA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Doda					
Village: Malhori					
1	1142/391	Private	Un-irrigated	0.0480564	Swaran Singh Share Holder
2	1142/391	Private	Un-irrigated	0.053115	Harpal Singh Share Holder
3	1142/391	Private	Un-irrigated	0.1896964	Mehal Singh Share Holder
4	1199/712	Private	Un-irrigated	0.1795793	Khuda Baksh, Gulzar Ahmed, equally 2/3 shares, Amjed Amin, Majid Amin, Sajid Amin, equally 7 shares, Shamem Akhter 1 share out of 1/3 share out of half share, Jalal Din half share.
5	718	Private	Un-irrigated	0.0910543	Jagdish Chander, Phulail Singh, Rajinder Singh
6	794	Private	Un-irrigated	0.0227636	Bishan Lal, Naroo Devi, Rekha Kumari, Kamla Devi
7	832	Private	Un-irrigated	0.24787	Hemraj Son of Mansa Ram

Village: Hud					
8	78	Private	Un-irrigated	0.1871671	Dev Raj Son of Jia Karan
9	78	Private	Un-irrigated	0.0227636	Daulat Ram Son of Jia Karan
10	810/758/64	Common	Common Land	0.0025293	Daulat Ram Son of Jia Karan
11	810/758/64	Common	Common Land	0.0227636	Mohanl Lal Son of Chandu Ram
12	810/758/64	Common	Common Land	0.0746139	Jagdish Raj Son of Chandu Ram
13	810/758/64	Common	Common Land	0.0050586	Lehar Chand Son of chandu Ram
14	811/758/64	Common	Common Land	0.0809371	Naseeb Chand Son of Prema
15	811/758/64	Common	Common Land	0.0581736	Kuldeep Kumar Son of Prema
16	811/758/64	Common	Common Land	0.0075879	Kaku Ram Son of Prema
17	858/803/24	Government	Government land	0.1112886	Government of Jammu & Kashmir
Village: Hambal					
18	533	Private	Un-irrigated	0.4957399	Baldev Ram son of Kashi Ram
Total				1.9007582	

[F. No. NHIDCL/PMU-JMU/DPR/Goha-Khellani/LA/2020-21/3D]
 SHAIKH AMINKHAN, Director